राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 668, 669, 670, 671, 672 व 673/2014 जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बी–228, रोड़ नं0 9, वी.के.आई. एरिया, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/2014	**खण्डपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 03, 04, 05, 06, 07 व 08/14–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 7.4.2014 (अपील संख्या 03 में पारित किये गये संशोधन आदेश दिनांक 11.4.2014) के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक **25.2.2014** से सृजित मांग राशि में से धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की वसूली पर रोक आदेश जारी करते हुए कर व ब्याज की बकाया मांग राशि पर रोक आदेश जारी करने से इन्कार किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरणों में अवशेष वसूली योग्य राशि की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का दिनांक 14.10.2013 को सर्वेक्षण किया जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा 12.5/14 प्रतिशत की दर से करयोग्य **'नोवा मिल्क मिक्स'** को 4/5 प्रतिशत की दर से विक्रय किया जा रहा है। सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.2.2014 को पारित करते हुए उक्त माल को स्किम्ड मिल्क पाउडर से भिन्न मानते हुए वैट अनुसूची–V अनुसार 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होने के कारण विवादित बिक्री पर 8.5/9/10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज एवं करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :– लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 668, 669, 670, 671, 672 व 673/2014 जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बी–228, रोड़ नं0 9, वी.के.आई. एरिया, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27/5/2014

अपील संख्या	अवधि	विवादित बिक्री	आरोपित अन्तर कर	ब्याज	शास्ति	योग
668/14	2008–09	1,08,39,521	9,21,359	5,98,883	18,42,718	33,62,960
669/14	2009–10	66,66,628	6,24,005	3,30,725	12,48,010	22,02,740
670/14	2010–11	1,01,86,530	9,16,788	4,30,890	18,33,576	31,81,254
671/14	2011–12	1,43,95,949	12,95,635	4,53,472	25,91,270	43,40,377
672/14	2012–13	66,46,403	5,98,176	1,37,580	11,96,352	19,32,108
673/14	2013–14	38,77,606	3,48,985	38,388	6,97,970	10,85,343

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल **'नोवा मिल्क मिक्स'** स्किम्ड मिल्क पाउडर ही है। कथन किया कि प्रविष्ठि संख्या 123 में केवल 'स्किम्ड मिल्क पाउडर' अंकित है, जिसमें फेट की मात्रा 1.5 प्रतिशत अथवा अन्य कोई मात्रा का अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित माल अधिनियम की अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 123 से कवर्ड होने के कारण 4/5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के विवादित माल में फैट की मात्रा 1.5 प्रतिशत से अधिक होने के आधार पर मिल्क पाउडर से भिन्न वस्तु मानते हुए, 8.5/9/10 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज व धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किये बिना, धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन आदेश जारी करते हुए शेष मांग की वसूली पर स्थगन आदेश जारी नहीं किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरणों में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में होने से अन्तर कर व ब्याज की अवशेष वसूली योग्य राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया जावे।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि फूड एडल्टरेशन एक्ट, 1954 में स्किम्ड मिल्क पाउडर की दी गई परिभाषा के अनुसार इसमें फेट की मात्रा 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण आदेश में दी गई परिभाषाओं के अनुसार भी विवादित माल स्किम्ड मिल्क

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 668, 669, 670, 671, 672 व 673/2014 जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बी–228, रोड़ नं0 9, वी.के.आई. एरिया, जयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/2014	पाउडर की श्रेणी में नहीं आने से, अनुसूची--IV की प्रविष्ठि संख्या 123 से कवर्ड नहीं होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर अन्तर कर व ब्याज की देयता बनने से, इस सीमा तक सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं बनती है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने तथा अवर अधिकारियों के आदेशों का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में बकाया शेष वसूली योग्य मांग राशि (अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये गये जमा राशि के विवरण एवं चाहे गये स्थगन के विवरण अनुसार) क्रमशः **रूपये 6,67,906/–; रूपये 3,77,474/–; रूपये 4,99,572/–; रूपये 5,50,536/–; रूपये 1,82,392/– एवं रूपये 64,532/–** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा ये आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 27/5/14	